

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 368 / 2025

अनवान : -

1. राजूराम पुत्र भागीरथ जाति बावरी निवासी तलवाड़ा झील त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. पूनमचन्द पुत्र भागीरथ जाति बावरी निवासी तलवाड़ा झील त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण


बनाम

1. मुखराम पुत्र साधुराम जाति बावरी निवासी तलवाड़ा झील त० त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ उपखण्ड अधिकारी सत्यनारायण के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता श्री अंकित सिडाना वादी एवं श्री सुभाष पारिक प्रतिवादी की उपस्थित में डिक्री किया जाकर चक 1 जीजीआर के खाता सं० 160/112 की कुल 7.590 है. में प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा अर्थात् 2.530 है. में से 0.632 है. के वादीगण सं० 1 व 2 बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व इसी अनुसार उपरोक्त भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किया जाकर यदि कृषि भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश, प्रतिवादी के हिस्सा पर रहन आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक... 16/3/26 .....को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई है।

  
(सत्यनारायण)  
पदेन सहायक कलेक्टर R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़